पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 02/2024
OPERATING SAFETY ALERT NO. 02/2024

विषय :- सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन पर शंटिंग के दौरान असामान्य घटना घटित होने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 09.11.2024 को गाडी सं0 15204 डा0 बरौनी स्टेशन के लाइन सं0 06 में 08:10 बजे आयी । कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी के इंजन को डिटैच करने का आदेश कार्यरत कांटावाला मो० सुलेमान, अमर कुमार और लोको शंटर राकेश रौशन –II को दिया गया । लोको शंटर द्वारा इंजन का चार्ज 08:12 बजे लिया गया। गाडी सं० 15204 डा0 को लोड सहित 08:15 बजे पावर कार में तेल लेने हेतु फ्यूलिंग प्वाइंट पर लाया गया। इंजन को डिटैच करने के दौरान शंटिंग के संकेतों एवं निर्देशों को कार्यरत कांटावाला मो० सुलेमान और लोको शंटर राकेश रौशन –II के बीच सही ढंग से आपसी समन्वय नहीं होने के कारण कार्यरत कांटावाला अमर कुमार का इंजन एवं पावरकार के बफर बीच दबने के कारण उनका निधन हो गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. शंटिंग सदैव अगले कैब से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
2. शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किमी/घंटा होगी जिसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।
3. हाथ सिगनल के रूप में केवल हरा और लाल झंडी / बत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. बफर, हैन्डब्रेक गीयर या वाहनों के स्क्रू कपलिंग या इंजन के काउकैचर पर चढ़कर शंटिंग नहीं किया जायेगा ।
5. जब यात्रीवाहक गाडियों के वाहनों के काटने या जोड़ने हेतु शंटिंग किया जाना हो तो शंटिंग इंजन गाडी से 20 मीटर दूर पहले अवश्य रुकेगा और उसके बाद बढेगा।
6. शंटिंग संचालन में पीछे धकेलते समय, गाड़ी की स्टार्टर/लोड/ट्रैप/डेड एण्ड आदि से 50 मीटर पहले रोका जायगा और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक पीछे धकेला जाएगा ।
7. लोको पायलट सिगनलो पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि किसी भी संचलन के पहले इंजन सीटी का प्रयोग करते हुए सदैव चौकस एवं सतर्क रहेंगे।
8. शंटिंग करते समय सभी कर्मचारी सावधान एवं सतर्क रहें ताकि उनकी ब्याक्तिगत संरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित हो ।

शंटिंग के दौरान हुई लापरवाही के कारण हमने कांटावाला अमर कुमार को खो दिया है । शंटिंग नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

(डा. मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक 15.11.2024

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे , हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा आधिकारी/पूमरे , हाजीपुर को सादर सूचनार्थ हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

Scanned with OKEN Scanner